मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 (कार्तिक 19,1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रमाकान्त तिवारी, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा विद्यालयों को मान्यता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, मुन्नासिंह, सदस्य, चंबल संभाग में सिंचाई हेतु पानी की वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्रीमती सुधा जैन, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जेहर सिंह मरावी, सदस्य, डिण्डोरी स्थित तेंदूपत्ता गोदाम में आग लगने से हुई क्षति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. राज्यमंत्री आदिम जाति कल्याण का वक्तव्य

श्री प्रताप सिंह उइके, राज्यमंत्री आदिम जाति कल्याण, दिनांक 10 फरवरी, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 550) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 2 घन्टे — श्री बाला बच्चन, राज्यमंत्री सार्वजनिक उपक्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का लोक सेवा में संविलयन प्रतिषेध विधेयक, 2000 (क्रमांक 27 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. अशासकीय संकल्प

1 घन्टा — (1) श्री हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों की शासकीय भूमि पर किये जाने वाले अतिक्रमणों को संज्ञेय अपराध घोषित कर अतिक्रमण कर्ताओं पर पुलिस कार्यवाही की जाय एवं अतिक्रमण की रिपोर्ट राजस्व निरीक्षकों द्वारा न दी जाने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय".

30 मि. — (2) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि बिलासपुर से रीवा व्हाया कटनी सवारी रेलगाड़ी चलाई जावे".

1 घन्टा — (3) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में निराश्रित, विधवा महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पेंशन रू 150/- से बढ़ाकर रू 250/- की जाय".

भोपाल :
दिनांक : 9 नवम्बर, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.